आरटीजीएस और एनईएफटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)।

RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) सिस्टम क्या है?

आरटीजीएस प्रणाली एक धन हस्तांतरण प्रणाली है जहां धन का हस्तांतरण "वास्तविक समय" और "सकल" आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में होता है। यह बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज़ धन अंतरण प्रणाली है। "वास्तविक समय" में निपटान का अर्थ है कि भुगतान लेनदेन किसी प्रतीक्षा अवधि के अधीन नहीं है। जैसे ही वे संसाधित होते हैं, लेन-देन व्यवस्थित हो जाते हैं। "सकल निपटान" का अर्थ है लेन-देन का निपटान एक-से-एक आधार पर बिना किसी अन्य लेन-देन के बंचिंग के किया जाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि धन हस्तांतरण भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों में होता है, भुगतान को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाता है।

आरटीजीएस राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) से कैसे अलग है?

एनईएफटी भी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो डेफर्ड नेट सेटलमेंट (DNS) के आधार पर संचालित होता है जो बैचों में लेनदेन का निपटान करता है। DNS में, निपटारा एक विशेष समय पर होता है। उस समय तक सभी लेन-देन रुके हुए हैं। एनईएफटी निपटान सप्ताह के दिनों में दिन में 6 बार (9.00 पूर्वाह्न, 11.00 पूर्वाह्न, 12.00 दोपहर, 1.00 अपराह्न, 3.00 अपराह्न और 5.00 अपराह्न) और 3 बार शनिवार (9.00 पूर्वाह्न, 11.00 पूर्वाह्न और 12.00 अपराह्न) के दौरान होता है, कोई भी लेन-देन शुरू किया गया निर्धारित निपटान समय के बाद अगले निर्दिष्ट निपटान समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। इसके विपरीत, आरटीजीएस में, पूरे आरटीजीएस व्यावसायिक घंटों में लेनदेन को लगातार संसाधित किया जाता है।

आरटीजीएस कार्य समय:

सोमवार से शुक्रवार: सुबह 9.00 बजे से शाम 4.30 बजे तक

शनिवार: सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक

क्या आरटीजीएस लेनदेन के लिए कोई न्यूनतम/अधिकतम राशि निर्धारित है?

आरटीजीएस प्रणाली मुख्य रूप से बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए है। आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि रु. 1 लाख है। आरटीजीएस लेनदेन के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। एनईएफटी लेनदेन के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम शर्त निर्धारित नहीं की गई है।

आरटीजीएस के अंतर्गत एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि अंतरित करने में कितना समय लगता है?

सामान्य परिस्थितियों में लाभार्थी शाखाओं से अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही प्रेषणकर्ता बैंक द्वारा धन हस्तांतरित किया जाएगा, वैसे ही लाभार्थी शाखाओं को वास्तविक समय में धन हस्तांतरण प्राप्त होगा। लाभार्थी बैंक को धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते को क्रेडिट करना होगा।

क्या प्रेषण करने वाले ग्राहक को लाभार्थी के खाते में क्रेडिट की गई धनराशि की पावती प्राप्त होगी?

प्रेषक बैंक को रिजर्व बैंक से एक संदेश प्राप्त होता है कि धन प्राप्त करने वाले बैंक को जमा कर दिया गया है। इसके आधार पर विप्रेषक बैंक विप्रेषक ग्राहक को सूचित कर सकता है कि प्राप्तकर्ता बैंक को धन की सुपुर्दगी कर दी गई है।

यदि लाभार्थी के खाते में जमा नहीं किया जाता है तो क्या प्रेषण करने वाले ग्राहक को पैसा वापस मिल जाएगा? कब?

हाँ। यह अपेक्षा की जाती है कि प्राप्त करने वाला बैंक लाभार्थी के खाते में तुरंत क्रेडिट कर देगा। यदि किसी कारण से पैसा जमा नहीं हो पाता है, तो प्राप्त करने वाले बैंक को 2 घंटे के भीतर धन भेजने वाले बैंक को पैसा वापस करना होगा। एक बार पैसा भेजने वाले बैंक द्वारा वापस प्राप्त करने के बाद, ग्राहक के खाते में मूल डेबिट प्रविष्टि उलट दी जाती है।

आरटीजीएस लेनदेन के लिए प्रोसेसिंग शुल्क/सेवा शुल्क के बारे में क्या?

1 रु. से एवं रु. 5 लाख तक : रु.25/- प्रति लेनदेन

रु. 5 लाख और उससे अधिक: रु.50/- प्रति लेनदेन

आने वाले सभी निःशुल्क हैं।

प्रेषण प्रभावी होने के लिए विप्रेषक ग्राहक को बैंक को कौन सी आवश्यक जानकारी देनी होगी?

आरटीजीएस प्रेषण को प्रभावी करने के लिए प्रेषक ग्राहक को बैंक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

1. प्रेषित की जाने वाली राशि

2. डेबिट किया जाने वाले खाते का विवरण

3. लाभार्थी बैंक का नाम

4. लाभार्थी ग्राहक का नाम

5. लाभार्थी ग्राहक की खाता संख्या

6. प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी यदि कोई हो

7. प्राप्तकर्ता शाखा का IFSC कोड

प्राप्त करने वाली शाखा का IFSC कोड कैसे पता चलेगा?

लाभार्थी ग्राहक अपनी शाखा से IFSC कोड प्राप्त कर सकता है। IFSC कोड चेक लीफ में उपलब्ध होता है। इस कोड नंबर और बैंक शाखा को लाभार्थी द्वारा प्रेषक ग्राहक को सूचित किया जा सकता है। साथ ही धन भेजने वाला ग्राहक अपनी शाखा से प्राप्त करने वाली शाखा का IFSC प्राप्त कर सकता है।

क्या भारत में सभी बैंक शाखाएं आरटीजीएस सेवा प्रदान करती हैं?

नहीं, भारत में सभी बैंक शाखाएं आरटीजीएस सक्षम नहीं हैं। आज की तारीख में 53000 से अधिक बैंक शाखाएं आरटीजीएस के लिए सक्षम हैं। यह सूची आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in/scripts/bs viewRTGS.aspx पर उपलब्ध है

इंडियन बैंक की सभी शाखाएं आरटीजीएस के लिए सक्षम हैं।

क्या कोई तरीका है जिससे प्रेषण करने वाला ग्राहक प्रेषण लेनदेन को ट्रैक कर सकता है?

यह विप्रेषक ग्राहक और विप्रेषक बैंक के बीच की व्यवस्था पर निर्भर करेगा। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा वाले कुछ बैंक यह सेवा प्रदान करते हैं। एक बार धनराशि लाभार्थी बैंक के खाते में जमा हो जाने के बाद, प्रेषक ग्राहकअपने बैंक से ई-मेल या मोबाइल पर एक संक्षिप्त संदेश द्वारा पुष्टि प्राप्त करता है।

लाभार्थी के खाते में क्रेडिट न होने या क्रेडिट में देरी के मामले में मैं किससे संपर्क करूं?

बैंक शाखा से संपर्क करें। यदि समस्या संतोषजनक ढंग से हल नहीं होती है, तो कृपया आरटीजीएस सेल, प्रधान कार्यालय, चेन्नई से ईमेल rtgscell@indianbank.co.in या hobod@indianbank.co.in पर संपर्क करें और यदि अभी भी हल नहीं होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क करें।

मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्राहक सेवा विभाग

पहली मंजिल, अमर बिल्डिंग, फोर्ट

मुंबई 400001

या cgmcsd@rbi.org.in पर ई-मेल भेजें

एनईएफटी: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी प्रणाली क्या है?

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली एक राष्ट्रव्यापी निधि अंतरण प्रणाली है जो एनईएफटी के लिए सक्षम किसी भी बैंक शाखा से किसी अन्य बैंक शाखा में धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।

क्या सिस्टम की सभी बैंक शाखाएं फंड ट्रांसफर नेटवर्क का हिस्सा हैं?

नहीं। अब तक, 85 बैंकों की लगभग 53000 शाखाएं भाग ले रही हैं। चरण हैं बैंकों और शाखाओं दोनों के संदर्भ में कवरेज को व्यापक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

इंडियन बैंक की सभी शाखाएं एनईएफटी के लिए सक्षम हैं।

क्या प्रणाली केंद्र विशिष्ट है या कोई भौगोलिक प्रतिबंध है?

नहीं। देश के भीतर केंद्रों या किसी भौगोलिक क्षेत्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रणाली केंद्रीकृत लेखा प्रणाली की अवधारणा का उपयोग करती है और बैंक का खाता जो धन हस्तांतरण निर्देश भेज रहा है या प्राप्त कर रहा है, केवल एक केंद्र अर्थात मुंबई में संचालित होता है। एनईएफटी में भाग लेने वाली व्यक्तिगत शाखाएं पूरे देश में कहीं भी स्थित हो सकती हैं, जैसा कि आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/scripts/neft.aspx में विस्तृत है।

एनईएफटी प्रणाली कैसे काम करती है?

चरण-1: प्रेषक लाभार्थी के विवरण (बैंक-शाखा, लाभार्थी का नाम, खाता प्रकार और खाता संख्या) देते हुए एनईएफटी आवेदन पत्र भरता है और शाखा को डेबिट करके लाभार्थी को निर्दिष्ट राशि भेजने के लिए अधिकृत करता है। प्रेषक का खाता। (इंडियन बैंक द्वारा दी जाने वाली नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके भी ऐसा किया जा सकता है)।

चरण-2: प्रेषक शाखा एक एसएफएमएस (संरचित वित्तीय संदेश समाधान) संदेश तैयार करती है और एनईएफटी के लिए अपने सेवा केंद्र को भेजती है। (एनईएफटी सेवा केंद्र, इंडियन बैंक, प्रधान कार्यालय, चेन्नई) चरण-3: सेवा केंद्र इसे राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष, आरबीआई को अग्रेषित करता है।

चरण-3अगले उपलब्ध निपटान के लिए मुंबई को शामिल किया जाना है। वर्तमान में NEFT 6 बैचों में 900, 1100, 1200, 1300,1500,1700 घंटे कार्यदिवस पर और 0900, 1100, 1200 घंटे शनिवार को निपटाया जाता है।

चरण-4: समाशोधन केंद्र पर आरबीआई लेन-देन को बैंक-वार छाँटता है और सिस्टम में भाग लेने वाले बैंकों को पास करने के लिए शुद्ध डेबिट या क्रेडिट की लेखांकन प्रविष्टियाँ तैयार करता है। इसके बाद, बैंक-वार प्रेषण संदेश बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं।

चरण-5 प्राप्त करने वाले बैंक आरबीआई से प्राप्त प्रेषण संदेशों को संसाधित करते हैं और लाभार्थियों के खातों में क्रेडिट प्रभाव।

यह एनईएफटी प्रणाली मौजूदा आरबीआई-ईएफटी प्रणाली पर कैसे सुधार है?

RBI-EFT प्रणाली उन 15 केंद्रों तक सीमित है जहाँ RBI सुविधा प्रदान कर रहा है, जबकि NEFT में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि यह केंद्रीकृत अवधारणा पर आधारित है। सिस्टम संचार, सुरक्षा आदि के लिए अत्याधुनिक तकनीक का भी उपयोग करता है, और इस तरह बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करता है।

यह RTGS और EFT से किस प्रकार भिन्न है?

एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो देश के किसी भी हिस्से से देश के किसी भी हिस्से में धन हस्तांतरित करती है और नेट सेटलमेंट पर काम करती है, आरटीजीएस के विपरीत जो सकल निपटान और ईएफटी पर काम करती है जो केवल 15 केंद्रों तक सीमित है जहां आरबीआई कार्यालय स्थित हैं।

व्यक्तिगत लेनदेन की राशि पर कोई सीमा?

व्यक्तिगत लेनदेन के लिए कोई मूल्य सीमा नहीं है।

प्रक्रिया शुल्क/सेवा शुल्क

1 रु. से 1 लाख रु तक : रु.5/- प्रति लेनदेन

रु. 1 लाख और अधिक: रु.25/- प्रति लेनदेन

आईएफएस कोड (आईएफएससी) क्या है? यह MICR कोड से किस प्रकार भिन्न है?

भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (IFSC) एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसे विशिष्ट रूप से भारत में बैंक-शाखाओं की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 11 अंकों का कोड है जिसमें पहले 4 अक्षर बैंक कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगला वर्ण आरक्षित नियंत्रण वर्ण के रूप में (वर्तमान में 0 पांचवें स्थान पर प्रकट होता है) और शेष 6 वर्ण शाखा की पहचान के लिए हैं। किसी केंद्र में बैंक-शाखा की पहचान करने के लिए MICR कोड में 9 अंक होते हैं।

IFSC ग्राहकों को जारी किए गए चेक के पन्नों पर छपा होता है।

लाभार्थी के खाते में क्रेडिट न होने या क्रेडिट में देरी के मामले में मैं किससे संपर्क कर सकता हूं?

अपनी शाखा से संपर्क करें। यदि समस्या संतोषजनक ढंग से हल नहीं होती है, तो कृपया एनईएफटी सेवा केंद्र, प्रधान कार्यालय, चेन्नई (ईमेल पता: rtgscell@indianbank.co.in or hobod@indianbank.co.in) पर संपर्क करें। यदि फिर भी इसका समाधान नहीं होता है तो कृपया एनसीसी, नरीमन पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक (nefthelpdesknccc@rbi.org.in) पर संपर्क करें या लिखें

महाप्रबंधक

राष्ट्रीय समाशोधन केंद्र

भारतीय रिजर्व बैंक पहली मंजिल, फ्री प्रेस हाउस

नरीमन पॉइंट
मुंबई 400027

क्या एनईएफटी लेनदेन आरंभ करने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक है?

मुख्य रूप से, NEFT एक अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफर सिस्टम है।

एनईएफटी बैंक में खाता नहीं रखने वाले ग्राहक भी दूसरे बैंक खाते में 50,000/- रुपये तक की धनराशि भेज सकते हैं।

क्या यह आवश्यक है कि लाभार्थी का खाता गंतव्य बैंक-शाखा में हो?

हाँ। NEFT एक अकाउंट फंड ट्रांसफर सिस्टम है

क्या मैं एनईएफटी के माध्यम से विदेशी प्रेषण कर सकता हूं?

इस प्रणाली का उपयोग केवल देश के भीतर भाग लेने वाले बैंकों के बीच भारतीय रुपये को विप्रेषित करने के लिए किया जा सकता है।

क्या मैं एनईएफटी का उपयोग करके विदेश में विप्रेषण भेज सकता हूं?

नहीं

क्या मैं दूसरे खाते से धन प्राप्त करने के लिए लेनदेन कर सकता हूँ?

नहीं

क्या मैं एनआरआई खातों से/को फंड भेज/प्राप्त कर सकता हूं?

हां, फेमा के प्रावधानों की प्रयोज्यता के अधीन

क्या ग्राहक को लाभार्थी को जमा किए गए धन की पावती प्राप्त होगी?

नहीं, हालांकि ग्राहक के लिए इलेक्ट्रॉनिक पावती तैयार की जाती है कि उसका पैसा प्रेषक शाखा में लाभार्थी के बैंक द्वारा प्राप्त किया जाता है।

यदि लाभार्थी के खाते में जमा नहीं किया जाता है तो क्या प्रेषण करने वाले ग्राहक को पैसा वापस मिल जाएगा?

हां, अगर पैसा लाभार्थी के खाते में जमा नहीं होता है तो धन भेजने वाले ग्राहक को वापस मिल जाता है।

एनईएफटी सर्विस विंडो कितने समय तक उपलब्ध रहती है?

सप्ताह के दिनों में 0900, 1100, 1200, 1300, 1500 और 1700 बजे 6 निपटान हैं और शनिवार को 0900, 1100 और 1200 बजे 3 निपटान हैं।

प्रेषण प्रभावी होने के लिए विप्रेषक ग्राहक को बैंक को कौन सी आवश्यक जानकारी देनी होगी?

आरटीजीएस प्रेषण को प्रभावी करने के लिए प्रेषक ग्राहक को बैंक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

1. प्रेषित की जाने वाली राशि

2. डेबिट किये जाने वाले खाते का विवरण

3. लाभार्थी बैंक का नाम

4. लाभार्थी ग्राहक का नाम 5. लाभार्थी ग्राहक का खाता संख्या

6. प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी यदि कोई हो

7. प्राप्तकर्ता शाखा का IFSC कोड

RTGS/NEFT हेतु नेट बैंकिंग उपलब्ध है। कृपया अपनी शाखा से संपर्क करें।